दिनांक: 9 अगस्त 2023

खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023

इस लेख में **"दैनिक करंट अफेयर्स" के विषय में "राज्यवस्था** से संबंधित संसोधन, सरकारी नीतियाँ और **अर्थव्यवस्था** से संबंधित विषय –**खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023** को शामिल किया गया है।

प्रीलिम्स के लिए ?

- खान और खनिज-
- संशोधन विधेयक-

मुख्य परीक्षा के लिए-

- **जीएस 3: अर्थव्यवस्था, खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023**

संदर्भ-

- संसद ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023 **पारित किया**।

बिल के बारे में

- यह विधेयक खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 **में संशोधन** करता है।
- विधेयक में 12 **की सूची से कम से कम छह पहले उल्लिखित परमाणु खनिजों को हटा दिया गया है।**
- **विधेयक में कुछ खनिजों को परमाणु खनिजों की सूची से हटाने का प्रावधान है,** जिनमें लिथियम, बेरिलियम, टाइटेनियम, नाइओबियम, **टैंटलम और ज़िरकोनियम** प्रमुख हैं।
- परमाणु खनिजों की सूची **में होने के नाते,** इन छह – लिथियम, बेरिलियम, नाइओबियम, टाइटेनियम, टैंटलम **और ज़िरकोनियम की खोज और खनन पहले सरकारी संस्थाओं के लिए आरक्षित था। इन खनिजों को परमाणु** खनिजों की सूची से हटाने पर, **इनका खोज और खनन निजी क्षेत्र के लिए रास्ता खुल जाएगा।**

मुख्य विशेषताएं-

- 1957 के अधिनियम के अनुसार, गड्ढे बनाना, ट्रेंचिंग, **ड्रिलिंग और उपसतह उत्खनन सभी टोही के हिस्से के** रूप में निषिद्ध हैं, **जिसमें मानचित्रण और सर्वेक्षण शामिल हैं। इन निषिद्ध गतिविधियों को विधेयक द्वारा** अनुमति दी गई है।

- निजी क्षेत्र द्वारा टोही-स्तर और/या **संभावित चरण की खोज को प्रोत्साहित करने के लिए**, विधेयक एक नए प्रकार के लाइसेंस का भी सुझाव देता है।
- राज्य सरकार इस अन्वेषण लाइसेंस (ईएल) को प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से पांच साल की प्रारंभिक अवधि और दो साल के विस्तार विकल्प के साथ प्रदान करेगी।

इसके अतिरिक्त, अन्वेषण क्षेत्र को भी शामिल किया गया हैं-

- अधिनियम के तहत, एक पूर्वेक्षण लाइसेंस 25 वर्ग किलोमीटर तक के क्षेत्र में गतिविधियों की अनुमति देता है और एक एकल टोही परमिट 5,000 वर्ग किलोमीटर तक के क्षेत्र में गतिविधियों की अनुमति देता है।
- विधेयक 1,000 **वर्ग किलोमीटर तक के क्षेत्र में एकल अन्वेषण लाइसेंस के तहत गतिविधियों की अनुमति देता** है।
- **पहले तीन वर्षों के बाद लाइसेंसधारी को मूल रूप से अधिकृत क्षेत्र का** 25% तक बनाए रखने की अनुमति होगी।
- **लाइसेंसधारी को क्षेत्र को अपने पास** रखने के कारणों को बताते हुए **राज्य सरकार को** एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी।
- इसके अतिरिक्त, **इसमें कहा गया है** कि शुरुआती तीन वर्षों के बाद, **लाइसेंसधारी प्रारंभिक** अधिकृत क्षेत्र का 25% **तक रख सकते हैं यदि वे राज्य सरकार को अपने औचित्य को रेखांकित करते** हुए एक रिपोर्ट प्रदान करते हैं।
- इसके अतिरिक्त, **यह केंद्र सरकार के लिए विशेष महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के** लिए खनन पट्टों और **मिश्रित लाइसेंस के लिए नीलामी** आयोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

उद्देश्य और आवश्यकता–

- **खनिजों की एक श्रृंखला** तक पहुंच की कमी या कम संख्या में भौगोलिक क्षेत्रों में उनके **निष्कर्षण या प्रसंस्करण की एकाग्रता** आयात निर्भरता, **आपूर्ति श्रृंखला कमजोरियों** और यहां तक कि **उनकी आपूर्ति में व्यवधान** का कारण बनती है।
- **भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण** और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) अधिकांश **अन्वेषण परियोजनाओं के प्रभारी** रहे हैं, और **निजी क्षेत्र बहुत कम मात्रा में भागीदारी** होने के कारण इसको बढ़ावा दिया रहा है।
- **भारत की खनन नीति ने कुछ वर्षों** के लिए खनिजों के ग्रीनफील्ड **अन्वेषण को निजी क्षेत्र के खोजकर्ताओं के दायरे से बाहर रखा था, जिसका अर्थ था कि वे केवल आगे की संभावना और खनन संसाधनों के लिए लाइसेंस प्राप्त कर सकते थे जो एक सरकारी इकाई द्वारा खोजे गए थे। कंपनियों में पर्याप्त प्रोत्साहन की कमी भी** देखी गई हैं।
- नया विधेयक भारत में अन्वेषण प्रक्रियाओं को विकसित देशों के समकक्ष लाने का प्रयास करता है ताकि अन्वेषण में निजी क्षेत्र की क्षमता को विकसित देशों के समकक्ष प्राप्त की जा सके।

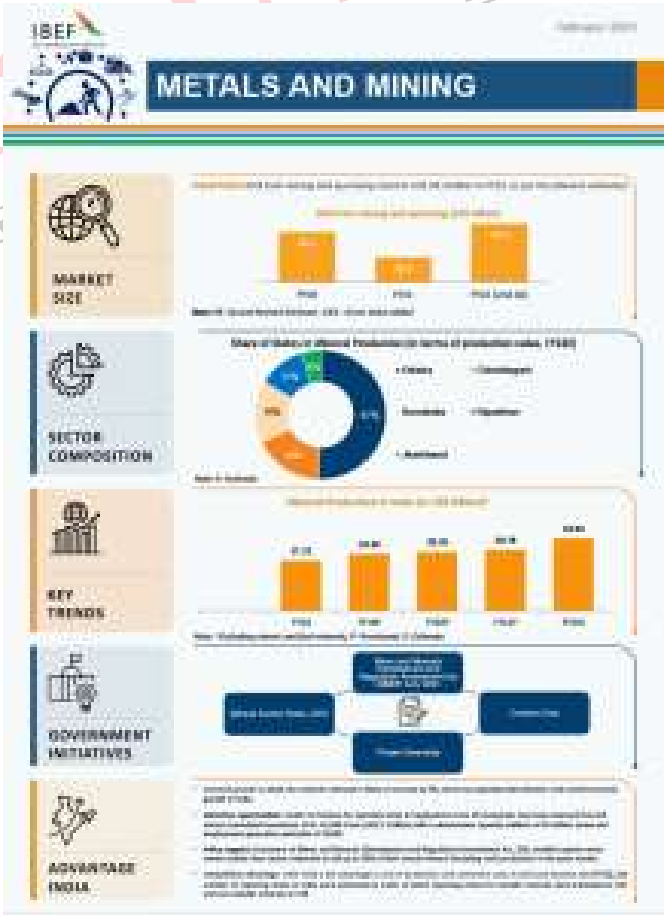

- इसका उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण और गहरे बैठे खनिजों की खोज में निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करना है।

संभावित मुद्दों–

- एक निजी कंपनी जिसके पास अन्वेषण लाइसेंस है, उसके लिए राजस्व उत्पन्न करने का प्राथमिक तरीका खनिक द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम का एक हिस्सा होगा, जो सफलतापूर्वक खोजी गई खदान की नीलामी और संचालन के बाद ही आएगा।
  - रुझानों से पता चलता है कि **मंजूरी के लिए सरकारी समय सीमा के कारण इस तरह की प्रक्रिया को पूरा होने में वर्षों लग सकते** हैं और भूगोल की जटिलता को देखते हुए ऐसा नहीं कर सकते है।
- **खोजकर्ता को यह नहीं पता होगा कि** उन्हें कितना राजस्व प्राप्त होगा क्योंकि नीलामी प्रीमियम केवल तभी पता चलेगा जब एक खदान की सफलतापूर्वक नीलामी की जाएगी।
- **अन्वेषण लाइसेंस के लिए आवंटन की नीलामी विधि के साथ एक और मुद्दा हैं**।
  - हालांकि किसी ऐसी चीज की नीलामी करना संभव है जिसका एक ज्ञात मूल्य होता है (जैसे खनिज भंडार या स्पेक्ट्रम), किसी ऐसी चीज की नीलामी करना मुश्किल है जिसके लिए अन्वेषण शुरू नहीं हुआ है।
- इसके अलावा, **सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2012 के फैसले** में कहा कि कंपनियां केवल तभी बड़ी रकम खर्च करना चाहिए यदि वे किसी भी खोजे गए संसाधनों का उपयोग करने के बारे में निश्चित हों। अन्वेषण और खनन अनुबंधों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों की खोज में बड़ा पूंजी निवेश किया जाता है।
- नई नीति में, केवल सरकार ही एक खोजकर्ता द्वारा खोजी गई चीजों की नीलामी कर सकती है और बाद में केवल अज्ञात स्तर पर प्रीमियम का एक हिस्सा मिलेगा।
- इसके विपरीत, अन्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में, निजी खोजकर्ताओं को अपनी खोजों को किसी भी खनिकों को बेचने की अनुमति है।

डेटा विश्लेषण-

- 2021-22 के दौरान खनिज उत्पादन (परमाणु और ईंधन खनिजों को छोड़कर) का कुल मूल्य 2,11,857 करोड़ रुपये अनुमानित किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 31.96% की वृद्धि दर्शाता है।
- खान मंत्रालय ने जून 2023 में देश के आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण 30 खनिजों की सूची जारी की थी।
- भारत इस सूची में अधिकांश खनिजों के लिए आयात पर अत्यधिक निर्भर है। उदाहरण के लिए, मंत्रालय द्वारा उद्धृत आंकड़ों के अनुसार, भारत में **लिथियम, कोबाल्ट, निकल, नाइओबियम, बेरिलियम और टैंटलम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति के लिए चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका सहित** देशों पर 100% आयात पर निर्भर है।
- कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में कोबाल्ट खानों का बहुमत स्वामित्व चीन के पास है, जहां दुनिया के 70% कोबाल्ट का खनन किया जाता है।
- दुनिया में चीन के किसी भी देश से तुलना में सबसे अधिक रेयर अर्थ की बड़ी मात्रा में भंडार मौजूद है, इसके बाद वियतनाम, ब्राजील और रूस हैं।
- यह अनुमान लगाया गया है कि भारत ने अपनी स्पष्ट भूवैज्ञानिक क्षमता (ओजीपी) का केवल 10% का पता लगाया है, जिसमें से 2% से भी कम का खनन किया जाता है और देश वैश्विक खनिज अन्वेषण बजट का 1% से भी कम खर्च करता है।

भारत में खनन क्षेत्र का अवलोकन-

- भारत में खनिज निष्कर्षण का इतिहास हड़प्पा सभ्यता के दिनों का है।
- भारत में खनन उद्योग अर्थव्यवस्था के मुख्य उद्योगों में से एक है।
- भारत में लौह अयस्क, बॉक्साइट, क्रोमियम, मैंगनीज अयस्क, बैराइट, रेयर अर्थ और खनिज लवण के बड़े भंडार हैं।
- भारत 95 खनिजों का उत्पादन करता है, जिसमें ईंधन, धातु, गैर-धातु, परमाणु और लघु खनिज (भवन और अन्य सामग्री सहित) शामिल हैं।

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है
yojnaias.com

- स्वचालित मार्ग के माध्यम से खनन और अन्वेषण क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति है, वर्तमान में इन क्षेत्रों में कोई महत्वपूर्ण एफडीआई प्राप्त नहीं हुआ है।

आगे की राह-

- भारत की अनूठी भूवैज्ञानिक और टेक्टोनिक सेटिंग संभावित खनिज संसाधनों की मेजबानी के लिए अनुकूल है और इसका भूवैज्ञानिक इतिहास पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और पूर्वी अफ्रीका के खनन समृद्ध क्षेत्रों के समान है।
- खनिज संसाधनों की खोज और अंततः आर्थिक रूप से व्यवहार्य भंडार खोजने के लिए प्राथमिक कदम खनिज अन्वेषण है, जो खनन से पहले विभिन्न चरणों में आता है।
- सतह या थोक खनिजों की तुलना में इन खनिजों का पता लगाना और खनन करना मुश्किल और महंगा है।
- गहरे खनिजों की खोज और खनन में तेजी लाने की आवश्यकता है।
- प्रस्तावित विधेयक महत्वपूर्ण और गहरे खनिजों के लिए खनिज अन्वेषण के सभी क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुविधाजनक बना सकता है, प्रोत्साहित कर सकता है और प्रोत्साहित कर सकता है।
- अन्वेषण में निजी एजेंसियों की भागीदारी से गहरे और महत्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण में उन्नत प्रौद्योगिकी, वित्त और विशेषज्ञता आएगी।

स्रोत: TH

प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रश्न –

विचार कीजिए की खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक , 2023 में किन तत्वों को परमाणु खनिजों की सूची से बाहर कर दिया गया है ?

1. बेरिलियम
2. टैंटलम
3. टाइटेनियम
4. ज़िरकोनियम
5. नाइओबियम
6. लिथियम

उपरोक्त कथनों में से सही उत्तर का चयन कीजिए-

(a) 1,2,3
(b) 3,4,5,6
(c) 1,2,3,4,5,6
(d) 2,4,5,6

उत्तर- (c)

मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न – खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023 इन खनिजों को परमाणु खनिजों की सूची से हटाने पर, इनका खोज और खनन निजी क्षेत्र के लिए सहायक होगा? विश्लेषण कीजिए।

Rajiv Pandey

शिक्षण संस्थानों में आरक्षण

इस लेख में "दैनिक करंट अफेयर्स" के विषय में " शासन व्यवस्था, संविधान शासन-प्रणाली, सामाजिक न्याय से संबंधित **छत्तीसगढ़ में शिक्षण संस्थानों में आदिवासियों का आरक्षण कोटा** शामिल किया गया है।

प्रीलिम्स के लिए ?

- भारत की अनुसूचित जनजातियाँ
- विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) का विकास।

Yojna IAS योजना है तो सफलता है

मुख्य परीक्षा के लिए-

- सामान्य अध्ययन- II: शासन व्यवस्था, संविधान शासन-प्रणाली, सामाजिक न्याय सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप।

संदर्भ-

- छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने हाल ही में **शैक्षणिक संस्थानों में आदिवासियों के लिए 32% आरक्षण** कोटा का मार्ग प्रशस्त किया है।

प्रमुख बिन्दु-

- छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से, राज्य मंत्रिमंडल ने हाल ही में निर्णय लिया कि शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया (**मार्च 2012 से पहले) 16-20-14 (50%) रोस्टर के बजाय 58% आरक्षण (एससी के लिए 12, एसटी के लिए 32 और ओबीसी के लिए 14 या 12-32-14 रोस्टर)** की "मौजूदा" प्रणाली के तहत पूरी की जाएगी।
- शीर्ष अदालत ने अपने हालिया अंतरिम आदेश में राज्य विषय में नौकरियों और पदोन्नति में 58% कोटा जारी रखने की अनुमति दी थी।

भारत की अनुसूचित जनजातियाँ

- **संविधान** के अनुच्छेद 342 के अनुसार, राष्ट्रपति एक सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से जनजातियों या आदिवासी समुदायों या इन जनजातियों और जनजातीय समुदायों के भीतर के हिस्से या समूहों को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित कर सकते हैं।
- **मानदंड:** संविधान अनुसूचित जनजाति के रूप में किसी समुदाय के विनिर्देश के मानदंड के बारे में चुप है।
  - आदिमता, भौगोलिक अलगाव, शर्म और सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन ऐसे लक्षण हैं जो अनुसूचित जनजाति समुदायों को अन्य समुदायों से अलग करते हैं।
- **75 अनुसूचित जनजातियाँ हैं जिन्हें** विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) **के रूप में जाना जाता है** , जिनकी विशेषता है:
  - प्रौद्योगिकी का पूर्व-कृषि स्तर
  - स्थिर या घटती जनसंख्या
  - बेहद कम साक्षरता
  - अर्थव्यवस्था का निर्वाह स्तर

आदिवासी संस्कृति के बारे में

- **सांप्रदायिक जीवन:** भारत में कई आदिवासी समुदायों में सांप्रदायिक जीवन और संसाधनों को साझा करने पर जोर दिया गया है। वे घनिष्ठ समुदायों में रहते हैं और अक्सर सामूहिक रूप से निर्णय लेते हैं।

- **प्रकृति के साथ संबंध:** आदिवासियों का प्रकृति के साथ एक मजबूत संबंध है, पारंपरिक मान्यताओं और प्रथाओं के साथ जो जंगलों और जानवरों के चारों ओर घूमते हैं।
- **आत्मनिर्भरता:** जनजाति एक आत्मनिर्भर समुदाय का पर्याय है, एक जनजाति एक अपेक्षाकृत बंद समाज है और इसका खुलापन इसकी आत्मनिर्भर गतिविधियों की सीमा से विपरीत रूप से संबंधित है।
- **आध्यात्मिक मान्यताएं: आदिवासियों की अक्सर अपनी अनूठी आध्यात्मिक मान्यताएं होती हैं, जिसमें पूर्वजों, प्रकृति आत्माओं या देवताओं की पूजा शामिल हो सकती है।**
- **लोक कला और शिल्प:** आदिवासी अपने अद्वितीय कला रूपों के लिए जाने जाते हैं, जिसमें मिट्टी के बर्तन, बुनाई और आभूषण बनाना शामिल है। इन शिल्पों का अक्सर आध्यात्मिक या सांस्कृतिक महत्व होता है और पीढ़ियों के माध्यम से पारित किया जाता है।

मुद्दे और चुनौतियां

- **भूमि अधिकार:** औद्योगिकीकरण, और खनन के कारण आदिवासी समुदायों को उनकी पारंपरिक भूमि से विस्थापित कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप सांस्कृतिक पहचान का नुकसान हुआ है, और सामाजिक और आर्थिक हाशिए पर हैं।
- **भेदभाव:** आदिवासी समुदायों को अक्सर प्रमुख समाज से भेदभाव और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ता है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य बुनियादी सेवाओं तक सीमित पहुंच शामिल है।
- **जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षरण: जलवायु** परिवर्तन, जैसे वर्षा के पैटर्न में परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति में वृद्धि, जैव विविधता का नुकसान, वनों की कटाई, प्रदूषण और निवास स्थान का नुकसान, ने उनकी पारंपरिक आजीविका और जीवन के तरीकों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।
- **सामाजिक आर्थिक हाशिए:** कई आदिवासी समुदायों के पास शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आर्थिक अवसरों तक सीमित पहुंच है, जिसके परिणामस्वरूप गरीबी और सामाजिक बहिष्कार हो सकता है।
- **सांस्कृतिक आत्मसात:** कई आदिवासी समुदायों को प्रमुख संस्कृति में आत्मसात करने के लिए दबाव का सामना करना पड़ता है, जिससे पारंपरिक ज्ञान, भाषा और सांस्कृतिक प्रथाओं का नुकसान हो सकता है।
- **राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी:** आदिवासी समुदायों में अक्सर राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी होती है और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनकी आवाज नहीं हो सकती है जो उनके जीवन को प्रभावित करती हैं।
- **स्वास्थ्य चुनौतियां:** आदिवासी समुदायों को अक्सर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप बीमारी, कुपोषण और अन्य स्वास्थ्य मुद्दों की उच्च दर हो सकती है।

सरकार की पहल-

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST)

- NCST की स्थापना अनुच्छेद 338 में संशोधन करके और 89 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2003 के माध्यम से संविधान में एक नया अनुच्छेद 338A सम्मिलित करके की गई थी।
- अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और सुरक्षोपायों से वंचित किए जाने से संबंधित किसी भी शिकायत की जांच करते समय आयोग को सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त हैं।

जनजातीय आबादी के लिए ट्राइफेड की पहल-

- **संकल्प से सिद्धि – मिशन वन धन:** सरकार की योजना 50,000 वन धन विकास केंद्र, 3000 हाट बाजार आदि स्थापित किया जाएगा।
- **जनजातीय उत्पादों/उत् पादों के विकास एवं विपणन के लिए संस् थागत सहायता** (केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम)
- **ट्राइब्स इंडिया** आउटलेट्स: आउटलेट्स देश भर के आदिवासी उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे और आउटलेट्स में एक विशिष्ट भौगोलिक संकेत (जीआई) और वनधन कॉर्नर होंगे।

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) का विकास:

- इस योजना में आवास, भूमि वितरण, भूमि विकास, कृषि विकास, पशुपालन, संपर्क सड़कों का निर्माण आदि जैसी गतिविधियां शामिल हैं।

- जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) **और जनजातीय उत्सवों, अनुसंधान सूचना और जन शिक्षा** के लिए सहायता।
- **प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक और विदेशी शिक्षा के लिए** छात्रवृत्ति
- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम **को सहायता**
- **जनजातीय क्षेत्रों में** व् यावसायिक प्रशिक्षण।
- इस योजना का उद्देश्य **विभिन्न प्रकार की नौकरियों के साथ-साथ स्व-रोजगार के लिए अनुसूचित जनजाति के युवाओं के कौशल को विकसित करना और उनकी आय में वृद्धि करके उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना है।**
- लघु वन उपज संग्रहकर्ताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा के उपाय के रूप में लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन (एमएसपी) के माध्यम से और एमएफपी **के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास (केन्द्र प्रायोजित स्कीम)।**

छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ-

- छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध जनजातियों में गोंड जनजाति, भुंजिया जनजाति, बैगा जनजाति, बिसोनहोर्न मारिया जनजाति, पारधी जनजाति, मुरिया जनजाति, हल्बा जनजाति, भाटरा जनजाति, परजा जनजाति, धुर्वा जनजाति, मुरिया जनजाति, दंडमी मारिया जनजाति, दोरला जनजाति, धनवार जनजाति, कोल जनजाति, कोरवा जनजाति, राजगोंड जनजाति, कावर जनजाति, भैयाना जनजाति, बिंजवार जनजाति, सवरा जनजाति, सवरा जनजाति, सावन जनजाति, कवार जनजाति, सवरा जनजाति, सावन जनजाति, सावन जनजाति, कवार जनजाति, सावन जनजाति, कवार जनजाति, सावन जनजाति, सावन जनजाति, कवार जनजाति, सवरा जनजाति, सावन जनजाति, बिस्वा जनजाति, बिंजवार जनजाति, सवार, जनजाति, मुंडा जनजाति, और अबूजमारिया जनजाति।

छत्तीसगढ़ जनजातियों की संस्कृति-

- छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति का एक लंबा इतिहास और जीवन जीने का एक अलग तरीका होता है।
- उन सभी में नृत्य, संगीत, कपड़े और भोजन की अलग-अलग शैलियाँ हैं।
- किसी जनजाति के मुखिया को "सरपंच" कहा जाता है, जो महत्वपूर्ण विवादों के दौरान प्राथमिक मध्यस्थ और सलाहकार के रूप में कार्य करता है। पांच सलाहकार, जिनमें से प्रत्येक को पंच के रूप में जाना जाता है, मुखिया का समर्थन करने के लिए एक टीम के रूप में काम करते हैं।

स्त्रोत- द हिन्दू

प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रश्न –

निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए-

1. छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने हाल ही में शैक्षणिक संस्थानों में आदिवासियों के लिए 36% आरक्षण कोटा का मार्ग प्रशस्त किया है।
2. कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के रूप 75 अनुसूचित जनजातियाँ शामिल हैं।
3. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) की स्थापना अनुच्छेद 338 के तहत किया जाता हैं।

उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं ?-

- केवल 1
- केवल 2
- उपरोक्त में से सभी।
- उपरोक्त में से कोई नहीं।

मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न – हाल ही में छत्तीसगढ़ कैबिनेट द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में आदिवासियों के लिए आरक्षण के मंजूरी यह किस तरीके से प्रभावित करेगा चर्चा कीजिए।

Rajiv Pandey